बाल विवाह

बच्चा या बाल एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ है । चाहे वह लड़का हो या लड़की उनका विवाह कानूनी अपराध है। हिन्दुओं में लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष होने के बाद ही विवाह मान्य है।

भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को निषिद्ध करता है। बाल विवाह करने वाले को कैद एवं जुर्माना और करवाने वाले को 3 माह तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अन्दर ऐसा विवाह शून्यकरणीय है– जिला कोर्ट में इसे निष्प्रभाव करार करवाया जा सकता है । इसमें कोर्ट लड़के या उसके परिवार को आदेशित कर सकती है कि वो लड़की का भरण पोषण दें जब तक उसका विवाह नही हो जाता है ।

बाल–विवाह रोकथाम अधिकारी या अन्य किसी सूचना देने वाले द्वारा बाल–विवाह को रोका जा सकता है । न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश दे सकते हैं और इसे रोकने के लिए इलाके की पुलिस की मदद ली जा सकती है ।

अगर आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो दो साल की कैद एवं 1 लाख रूपया जुर्माना या दोनो हो सकता है । जो पुरूष 18 वर्ष से ऊपर का है और कम उम्र की बच्ची से विवाह करता है तो उसे भी सजा दी जा सकती है । माता–पिता और अभिभावक को भी यही सजा है। परन्तु किसी महिला को कैद की सजा नही हो सकती।

कन्या भ्रूण हत्या

कन्या भ्रूण हत्या कानून–गर्भधारण पूर्व एवं जन्म पूर्व निदान (लिंग जांच निषेध) अधिनियम 1996

भ्रूण लिंग जांच एंव कन्या हत्या एक कानूनी अपराध है।

इस नियम के तहत :

1. गर्भधारण पूर्व लिंग चयन एवं जन्म पूर्व लिंग जाँच करना, करवाना या इससे सम्बंधित विज्ञापन देना दण्डनीय अपराध है।
2. कोई भी व्यक्ति किसी भी गर्भवती महिला को इस प्रकार की जाँच करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
3. लिंग पक्षपात प्रेरित गर्भधारण के लिए परामर्श वर्जित है।
4. अनुवंशिक परामर्श केन्द्र, क्लिनिक एवं प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का पंजीकरण आवश्यक है।
5. दोशी चिकित्सक का चिकित्सा सम्बंधी पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
6. दोशी पाये जाने पर 5 साल तक की कैद एवं एक लाख रूपये तक तक जुर्माना है।
7. इस जुर्म के आरोपी को जमानत का अधिकार नही है।
8. पुलिस दोषी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।